



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 634 राँची, सोमवार,

7 अक्टूबर, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

9 अप्रैल, 2024

सं०-08/विविध (01)-04/2023-2024--चूँकि झारखण्ड राज्यपाल निम्न अनुसूची में वर्णित राँची, दिनांक-09/04/24 ई०1 स्थानों में लोक व्यवस्था के अनुरक्षण तथा विध्वंसात्मक कार्यों को निवारित व प्रतिबंधित करने हेतु अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने हेतु यह आवश्यक एवं समीचीन समझते हैं कि इस निमित्त विशेष पूर्वावधान बरती जाय,

इसलिए, अब बिहार (सहपठित झारखण्ड) राज्य संरक्षित स्थान अधिनियम, 1979 (बिहार अधिनियम 1 1979) की धारा-3, उपधारा-1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल के द्वारा अतिसंवेदनशील स्थल के अंतर्गत एल०पी०जी० बोटलिंग प्लांट Installation हेतु बरही अंचल अन्तर्गत थाना संख्या-72, ग्राम कोनरा, प्लॉट संख्या-13/B, Barhi Industria Area JIADA, Ranchi Region के निम्नलिखित कुल 26 एकड़ भूमि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है:-

संरचना का नाम	मौजा का नाम एवं पता	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकबा (क्षेत्रफल एकड़ में)	चौहद्दी
एल०पी०जी० बोटलिंग प्लांट Installation हेतु	मौजा-कोनरा, थाना संख्या-72, अंचल-बरही, जिला-हजारीबाग	38	1489 Part	0.51	उत्तर -1534 का अंश और औद्योगिक चारदिवारी दक्षिण -1498 के अंश, 1531 के अंश और औद्योगिक प्लॉट संख्या-13/सी पूर्व -1534 के अंश और औद्योगिक चारदिवारी पश्चिम -798,799,801,802,803 और एन०एच०-2 बायपास रोड
		55	1528	1.48	
		55	1527	0.94	
		36	1530	1.44	
		78	1531 Part	19.57	
		78	1532	0.07	
		21	1533	1.02	
		64	1529	0.97	
				कुल-26 एकड़	

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

HOME, PRISON & DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

9 April, 2024

NO.-08/Vividh (01)-04/2023-2024--Whereas the Governor of Jharkhand considers it necessary and expedient that for the maintenance of the public order and for prevention or preventing or suppressing subversive acts, special precautions should be taken to prevent the entry of unauthorized persons into the places described in the Schedule given below.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section-3 (1) of the Bihar (read with Jharkhand) Protected Place Act, 1979 (Bihar Act I of 1979), the Governor of Jharkhand is pleased to declare the highly sensitive places LPG Bottling Plat Installation situated at plot no. 13/B, Barhi Industrial Area, JIADA Ranchi Region, Total 26 Acres as mentioned below to be protected places for purposes of the said Act:-

Name of Structure	Mauja Name and Address	Khata No.	Plot No.	Area in Sq.ft/Acre	Boundary: As per Survey Plot No.
LPG Bottling Plant Installation	Mauja-Konra, 38 Thana No.-72, Anchal-Barahi, Distt.-Hazaribag	38	1489 Part	0.51	North -1534P and Industrial Boundary South -1489P,1531P and Industrial plot No. 13/C East -1534P and Industrial Boundary West -798,799,801,802,803 and NH-2 Bye pass Road
		55	1528	1.48	
		55	1527	0.94	
		36	1530	1.44	
		78	1531 Part	19.57	
		78	1532	0.07	
		21	1533	1.02	
		64	1529	0.97	
				Total-26 Acre	

By Order of Governor of Jharkhand,

Vandana Dadel,

Principal Secretary to the Government.